

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : अतारांकित
प्रश्न संख्या : 26
दिनांक : 02.12.2019
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मदन लाल

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने ए.ए.एम.सी. को वर्ष 2017 तक पूर्णतः क्रियाशील बनाने का लक्ष्य निश्चित किया था;	जी हाँ, यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने ए.ए.एम.सी. को वर्ष 2017 तक पूर्णतः क्रियाशील बनाने का लक्ष्य निश्चित किया था ।
ख)	ए.ए.एम.सी. को पूर्णतः क्रियाशील बनाने में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं;	ए.ए.एम.सी. को पूर्णतः क्रियाशील बनाने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ रही हैं: <ul style="list-style-type: none"> • भूमि मालिकाना संस्था से अनापत्ति पत्र (एन ओ सी) समय पर ना मिलना तथा प्राप्त अनापत्ति पत्रों के आधार पर अधिपत्य (Possession) न देना । • कुछ स्थानों पर जनता द्वारा विरोध ।
ग)	इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए किन-किन उपायों की आवश्यकता है ;	वर्तमान में उपरोक्त कठिनाइयों का काफी हद तक समाधान किया जा चुका है जैसे- भूमि मालिकाना संस्था तथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ लगातार बैठकों द्वारा कठिनाइयों को दूर किया जाना ।
घ)	क्या यह भी सत्य है कि ए.ए.एम.सी. केन्द्रों पर रेफ्रिजरेटर जैसे आवश्यक उपकरणों के न होने के कारण मरीजों को टी.टी./टी.डी./टेनस आदि के टीके नहीं लगाये जा रहे हैं; और	सभी ए.ए.एम.सी. केन्द्रों पर रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हैं तथा मरीजों को टीटी/टेनस आदि के टीके लगाये जा रहे हैं ।
ङ)	यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन केन्द्रों पर ऐसे उपकरण कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे ?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।


(संजीव खिरवार)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

SANJEEV KHIRWAR, IAS
PRINCIPAL SECRETARY
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi